संख्या—1356/71—1—2010—जी—63/2008

प्रेषक,

कुमार अरविन्द सिंह देव,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।
2. कुल सचिव,
छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा
विश्वविद्यालय, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—1 लखनऊ : दिनांक 7 जून, 2010

विषयः— प्रदेश के समस्त राजकीय एलोपैथिक मेडिक्ल कालेजों एवं छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में संविदा के आधार पर नियुक्त/पुनर्नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों यथा प्रवक्ता, सहायक आचार्य, सहआचार्य एवं आचार्य के नियत वेतन का पुर्ननिर्धारण किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में शासनादेश संख्या—2690/71—1—08—जी—204/2008 दिनांक 30.07.2008 तथा शासनादेश संख्या—4661/71—1—08—जी—63/2008 दिनांक 15.12.2008 द्वारा नियत वेतन पर संविदा के आधार पर चिकित्सा शिक्षकों को नियुक्त/तैनात किये जाने तथा शासनादेश संख्या—2489/71—1—2008—जी—204/2008, दिनांक 30.07.2008 द्वारा छत्रपति शाहू जी महराजा चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में नियत वेतन पर संविदा के आधार पर चिकित्सा शिक्षकों को नियुक्त/तैनात किये जाने की व्यवस्था की गयी है। शासन द्वारा यह अनुभव किया गया कि नियत वेतन की वर्तमान व्यवस्था में छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ तथा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर देय नियत वेतन की धनराशि छठवें वेतन आयोग की संस्तुति लागू होने के कारण काफी कम हो गयी है।

2— राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में नियमित चिकित्सा शिक्षकों की कमी के कारण एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम व स्नाताकोत्तर पाठ्यक्रम को मानक के अनुसार संचालित कराया जाना एवं पाठ्यक्रमों की मान्यता को बनाये रखने की चुनौती एवं

विकट समस्या बनी हुई है। वरिष्ठ चिकित्सा शिक्षकों की कमी भी बनी हुई है, जिसका मुख्य कारण देय पे–पैकेज का सम्मानजनक एवं आकर्षक न होना है।

3– उपर्युक्त वर्णित स्थिति में राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों तथा छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में संविदा के आधार पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को प्रोत्साहित किये जाने एवं नियुक्ति के लिए उत्प्रेरित किये जाने हेतु उपुर्यक्त शासनादेश दिनांक 30.07.2008 एवं शासनादेश दिनांक 15.12.2008 में संशोधन करते हुए संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के नियत वेतन को निम्नांकित रूप से निर्धारित किये जाने की श्री राज्पाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(1) वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 15.12.1983 सपठित शासनादेश दिनांक 27.02.2009 से छूट प्रदान करते हुए संविदा के आधार पर पुनर्नियुक्त एवं सीधे नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को नियत वेतन की धनराशि छठें वेतन आयोग की संस्तुतियों एवं पुनरीक्षित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड पे के दृष्टिगत निम्नवत् निर्धारित की जाय।

1.	आचार्य	रू0 70,000/– प्रतिमाह
2.	सहआचार्य	रू0 60.000/– प्रतिमाह
3.	सहायक आचार्य	रू0 45.000/– प्रतिमाह
4.	प्रवक्ता	रू0 40.000/– प्रतिमाह

सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति के मामलें में उक्त निर्धारित नियत वेतन पेंशन की धनराशि के अतिरिक्त देय होगा।

(2) संविदा पर नियुक्त आचार्य एवं सहआचार्य से परीक्ष नियंत्रक का कार्य लिया जायेगा परन्तु अन्य कोई प्रशासनिक पद का दायित्व उन्हें आवंटित नही किया जायेगा ।

(3) सेवानिवृत्ति के उपरान्त संविदा पर नियुक्ति 03 वर्ष की अवधि के लिए की जायेगी जो आवश्यकता एवं उपयुक्तता के आधार पर 01–01 वर्ष के लिए अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक बढ़ाई जा सकेगी परन्तु नियमित चयन के आधार पर चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध होने पर संविदा पर की गयी नियुक्ति समाप्त हो जायेगी।

(4) शासनादेश संख्या–2690/71–1–08–जी –204/2008, दिनांक 30.07.2008 व शासनादेश संख्या–2489/71–1– 08–जी–204/2008, दिनांक 30.07.2008 तथा शासनादेश दिनांक 15.12.2008 में निर्धारित अन्य शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगें।

(5) प्रस्तावित व्यवस्था शासनादेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

4. अतः अनुरोध है कि कृपया उक्तानुसार राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों तथा छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में

चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्तियां किये जाने के संबंध में तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

7.6.10

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव

संख्या– (1)/71–1–2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, मेरठ, गोरखपुर, झॉसी, आगरा, कानपुर, कन्नौज, आजमगढ़, जालौन, अम्बेडकर नगर।
3. मण्डलायुक्त, इलाहाबाद, मेरठ, गोरखपुर, झॉसी, आगरा, कानपुर, कन्नौज, आजमगढ़, फैजाबाद।
4. कोषाधिकारी, इलाहाबाद, मेरठ, गोरखपुर, झॉसी, आगरा, कानपुर, कन्नौज, आजमगढ़, जालौन, अम्बेडकर नगर।
5. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–3।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जावेद एहतेशाम)
उप सचिव